

BHS16

General & Prescribed Reserved Category

**GREATER
NOIDA
CITY**

Planned with an obsession.

**ग्रेटर नौएडा
प्रस्तुत करते हैं
समाज के सभी
वर्गों के लिये
वहन करने योग्य
चार मंजिले पलैटों
की योजना**



ग्रेटर नोएडा में चार मंजिले फ्लैटों के आवंटन हेतु नियम एवं शर्तें

सैक्टर-स्थू।। एवं सैक्टर-10

महत्वपूर्ण तिथियाँ

योजना प्रारम्भ की तिथि : 02 / 04 / 2013

आवेदन की अन्तिम तिथि : 02 / 05 / 2013

आवंटन ड्रा के आधार पर

ड्रा की संभावित तिथि : 02 / 09 / 2013

(ii) योजना विवरण
योजना का नाम बिल अप हाउसेस
योजना का डी.बी.एच.इस-16 / 2013

योजना विवरण :-

ए-१ चार मंजिले फ्लैट:-

क्र. सं.	सेक्टर का नाम	भवनों की संख्या संभावित	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	भवनों की संभावित मूल्य (रुपये लाख में)		पंजीकरण राशि (रुपये में)
				मूलत	प्रथम/द्वितीय/तृतीय तल	
1.	सू-॥	5265	29.76	8.63	7.52	80,000/-
2.	सैक्टर-10	1950	29.76	8.63	7.52	80,000/-
	कुल	7215				

- आवंटन के समय चार मंजिले फ्लैट की संख्या बढ़ाई अथवा घटाई जा सकती है।
- यदि आरक्षित श्रेणी में चार मंजिले फ्लैट के द्वा में आवेदन आरक्षित चार मंजिले फ्लैट की संख्या से कम प्राप्त होते हैं तो शेष आरक्षित चार मंजिले फ्लैट सामान्य श्रेणी में अन्तरित कर दिये जायेंगे।
- 50 प्रतिशत चार मंजिले फ्लैट सामान्य श्रेणियों हेतु तथा अवशेष 50 प्रतिशत फ्लैट निम्नलिखित श्रेणियों हेतु आरक्षित होंगे।

बी- आरक्षित श्रेणियाँ :

क्र.सं.	आरक्षित श्रेणी	आरक्षण का प्रतिशत
1.	ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित औद्योगिक भूखण्डों में क्रियाशील औद्योगिक इकाईयाँ।	17.5 प्रतिशत
2.	कृषक जिनकी भूमि ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रेटर नौएडा के सुनियोजित विकास के लिये अधिग्रहित की गयी है।	17.5 प्रतिशत
3.	ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित वाणिज्यिक भूखण्डों/ दुकानों एवं संस्थागत भूखण्डों में क्रियाशील वाणिज्यिक एवं संस्थागत इकाईयाँ	10 प्रतिशत
4.	ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नियमित कर्मचारी/अधिकारी	5 प्रतिशत
	कुल आरक्षण	50 प्रतिशत

नोट:-

- क्रियाशील औद्योगिक, व्यवसायिक, संस्थागत इकाईयों, ऐसे कृषक जिनकी भूमि ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत की गयी है, एवं प्राधिकरण के नियमित कर्मचारी/अधिकारी के आरक्षित कोटे में 18 प्रतिशत चार मंजिले फ्लैट अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए आरक्षित होंगे।
- विकलांगजन के लिये निःशक्तजन अधिनियम 1995 की धारा 43 के अंतर्गत 3 प्रतिशत हौरीजोण्टल आरक्षण, आरक्षित श्रेणी एवं अनारक्षित श्रेणी के लिए लागू होंगा।
- विकलांग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी, अन्यथा उन्हें आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
- आरक्षित श्रेणी में चार मंजिले फ्लैट के आवेदकों की संख्या कम रहती है तो अवशेष आरक्षित श्रेणी के चार मंजिले फ्लैटों को सामान्य श्रेणी में अन्तरित कर दिये जायेंगे।

ग्राह्यता

बी-१ सामान्य श्रेणी

- आवेदक भारतीय नागरिक हो तथा अनुबंध के लिए सक्षम हो तथा उसने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली हो।
- इस श्रेणी में आवेदक अथवा उसके पति/पत्नी के नाम, अथवा आश्रित बच्चों के नाम में पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से कोई भी आवासीय भूखण्ड अथवा

विकास प्राधिकरण द्वारा किसी पूर्ण योजना में आवंटित न किया गया हो।

- (iii) अह आवेदक उनके पति / पत्नी अथवा आश्रित दब्बे के बंद होने के बाहर लाई दीनसो एवीमन्ट लाइसेंस के जह भवद डा औद्योगिक

बी-2 विभिन्न आरक्षित श्रेणियों की पात्रता

- आवेदक अनुबन्ध करने हेतु सक्षम हो एवं उसने व्यरक्ता की आयु प्राप्त कर ली हो।
- केवल ऐसे आवेदक/ औद्योगिक इकाईयों/ व्यावसायिक एवं संस्थागत प्रतिष्ठान/ संस्थान अथवा उनके प्रबन्ध निदेशक/ पूर्ण कालीन निदेशक/ भागीदार/ एकल स्वामी/ ट्रस्टी/ ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के लिये अधिग्रहित की गयी भूमि के खातेदार/ सह-खातेदार श्रणी के आवेदक आवेदन हेतु पात्र होंगे जिनको आवासीय भूखण्ड/ पलैट प्राधिकरण की किसी भी पूर्ण योजना में प्राधिकरण द्वारा आवंटित न किया हो।

बी-3 विशिष्ट श्रेणियों पर लागू अर्हता की विशेष शर्तें –

औद्योगिक इकाईयाँ

- निम्न शर्तों को पूर्ण करने वाली वारस्तिक औद्योगिक इकाईयाँ अर्ह होंगी –
 - ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 31 दिसम्बर, 2012 तक आवंटित/ अंतरित औद्योगिक भूखण्ड, जिसने योजना के बंद होने की तिथि से पूर्व उद्योग स्थापित कर इकाई को क्रियाशील कर लिया हो। आवेदक को प्राधिकरण द्वारा निर्गत इकाई का क्रियाशीलता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
 - इकाई ने औद्योगिक परिसम्पत्ति के सापेक्ष दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 तक देय प्राधिकरण की बकाया समर्त देयताओं (भू-भाटक, प्रीमियम, व्याज इत्यादि सहित) का भुगतान योजना की आवेदन की अन्तिम तिथि तक कर दिया हो। आवेदक को प्राधिकरण द्वारा निर्गत अदेयता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी अनिवार्य है।
 - यदि आवेदन औद्योगिक इकाई के एकल स्वामी/ साझेदार/ प्रबंध निदेशक/ पूर्णकालीन निदेशक द्वारा किया जाता है तो निम्न शर्तें पूर्ण करनी होंगी –
 - आवेदक दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को औद्योगिक इकाई में प्रबंध निदेशक/ पूर्णकालिक निदेशक/ साझेदार/ एकल स्वामी होना चाहिए।
 - नामित (नोमिनेटड) निदेशक आवंटन हेतु पात्र नहीं होंगे।
 - औद्योगिक इकाई के आवेदक को उपरोक्त बी-3 (1) पर वर्णित सभी शर्तों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
 - औद्योगिक इकाई अथवा उनके अर्ह प्रबंध निदेशक/ पूर्णकालीन निदेशक/ भागीदार/ एकल स्वामी केवल एक फ्लैट आवंटन हेतु पात्र होंगे। यदि इकाई के पास एक से अधिक औद्योगिक परिसर है तो भी उपरोक्तानुसार पात्रता केवल एक ही फ्लैट के आवंटन हेतु होगी। यदि किसी निदेशक ने अपनी 'क' इकाई के विरुद्ध कोई आवासीय भूखण्ड/ फ्लैट प्राप्त कर लिया है तथा वह 'ख' इकाई का भी निदेशक है तो वह 'ख' इकाई के सापेक्ष आवंटन हेतु पात्र नहीं होगा। ख इकाई के अवशेष निदेशकों में से कोई एक निदेशक नियमानुसार आवेदन हेतु अर्ह होगा।
 - आवेदक कम्पनी को इस आशय का रेजोल्यूशन देना होगा कि कम्पनी स्वयं के नाम में अथवा अपने एकल स्वामी/ साझीदार/ प्रबंध निदेशक/ पूर्णकालिक निदेशक के नाम में आवेदन कर रही है तथा कम्पनी के आवेदन पत्र भरने एवं हस्ताक्षर करने हेतु (नाम, पदनाम) अधिकृत किया है।

बी-4.अर्ह क्रियाशील वाणिज्यिक प्रतिष्ठान

- वाणिज्यिक प्रतिष्ठान द्वारा वाणिज्यिक भूखण्ड/ दुकान/ कार्यालय स्थल का पट्टा प्रलेख निष्पादन के उपरान्त दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 तक वाणिज्यिक परिसम्पत्ति का कब्जा ग्रहण कर लिया हो तथा प्रतिष्ठान को प्राधिकरण के वाणिज्यिक विभाग द्वारा योजना समाप्त होने की अन्तिम तिथि तक क्रियाशील घोषित कर दिया गया हो। प्राधिकरण द्वारा निर्गत क्रियाशीलता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगी।
- वाणिज्यिक प्रतिष्ठान द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 तक देय प्राधिकरण की बकाया समर्त देयताओं (प्रीमियम, व्याज, भू-भाटक इत्यादि) का भुगतान कर दिया हो। प्राधिकरण द्वारा जारी अदेयता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- वाणिज्यिक परिसम्पत्ति के क्रियाशील उप-पट्टाधारक जिन्होंने व्यवसायिक भूखण्ड के पट्टाधारक से दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 तक प्राधिकरण के माध्यम से उप-पट्टाधारक अधिकार तथा योजना समाप्त होने की अन्तिम तिथि तक प्राधिकरण द्वारा त्रिपक्षीय उप-पट्टा प्रलेख निष्पादन कर लिया गया हो, आवेदन हेतु पात्र होंगे। आवेदक ने अपने प्रतिष्ठान को क्रियाशील कर क्रियाशीलता प्रमाण पत्र प्राधिकरण से लिया हो। आवेदन के साथ क्रियाशीलता प्रमाण पत्र/ अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- यदि आवेदन वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के एकल स्वामी/ साझीदार/ प्रबंध निदेशक/ पूर्णकालिक निदेशक के नाम में किया जाता है तो ऐसे स्वामी/ साझीदार/ निदेशक का नाम प्राधिकरण के वाणिज्यिक अनुभाग में दर्ज होना आवश्यक है।
- ऐसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/ उनके स्वामी/ साझीदार/ प्रबंध निदेशक/ निदेशक जिनके पक्ष में वाणिज्यिक भूखण्ड/ दुकान/ कार्यालय स्थल का अंतरण किया गया हो, आवेदन हेतु अर्ह होंगे, यदि वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के पक्ष में पूर्व में ही आवासीय फ्लैट/ भूखण्ड आवंटित किया जा चुका हो।
- वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अथवा उनके एकल स्वामी/ साझीदार/ प्रबंध निदेशक/ पूर्णकालीन निदेशक केवल एक ही फ्लैट के आवंटन हेतु पात्र होंगे। आवेदक कम्पनी को इस आशय का रेजोल्यूशन देना होगा कि कम्पनी स्वयं के नाम में अथवा अपने एकल स्वामी/ साझीदार/ प्रबंध निदेशक/ पूर्णकालिक निदेशक के नाम में आवेदन कर रही है तथा कम्पनी के आवेदन पत्र भरने एवं हस्ताक्षर करने हेतु (नाम, पदनाम) अधिकृत किया है।

बी-5 अर्ह वैध क्रियाशील संस्थान

योजना समाप्त होने की अन्तिम तिथि तक निम्न शर्तों को पूर्ण करने वाली संस्थायें आवेदन हेतु पात्र होंगी।

- संस्थान द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 तक पट्टा प्रलेख निष्पादन के उपरान्त कब्जा ग्रहण कर लिया हो तथा योजना समाप्त होने की अन्तिम तिथि तक संस्थान को प्राधिकरण द्वारा क्रियाशील घोषित किया जा चुका हो। प्राधिकरण के संस्थागत अनुभाग द्वारा जारी क्रियाशीलता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- २ संस्थान क्षात्र दिन १५ अक्टूबर २०१२ तक प्रावृक्ष-या को उद्घाटित करना या प्रोमिश्यम भू मालक पर योजना विहार को भूमध्य योजना की अन्तिम तिथि तक कर दिया हो। संस्थान को प्राधिकरण द्वारा निर्गत अद्यता प्राप्त या सन्यापित प्रति आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
- ३ यदि आवेदन संचालन के निर्देशक/ट्रस्टी/कार्यकारी सदस्य का नाम संकेत जाता है तो उनका नाम प्रावृक्ष-योजना की अन्तिम तिथि तक दर्ज कर लिया गया हो।
- ४ यदि शैक्षणिक संस्था के पक्ष में आवेदन किया जाता है तो उनके निर्देशक/ट्रस्टी/कार्यकारी सदस्य का नाम प्राधिकरण के संस्थागत विभाग ले रिकार्ड में योजना समाप्त होने की अन्तिम तिथि तक दर्ज होना अनिवार्य होगा।
- ५ ऐसे संस्थान/उनके निर्देशक/ट्रस्टी/कार्यकारी सदस्य भूखण्ड हेतु पात्र नहीं होंगे जिन्हे संस्थागत भूखण्ड अपने पक्ष में अंतरित कराया गया हो तथा जिन्हें पूर्व में आवासीय भूखण्ड/फ्लैट आवंटित हो चुका हो।
- ६ यदि संस्थान के पास एक से अधिक परिसम्पत्तियाँ हैं तो उनकी पात्रता एक ही आवासीय भूखण्ड/फ्लैट की होगी चाहे संस्थान के नाम हो या संस्थान के वैध निर्देशक/ट्रस्टी/कार्यकारी सदस्य के नाम हो।
- ७ चैरिटेबल एवं धार्मिक संस्थान तथा इनके ट्रस्टी/निर्देशक/सदस्य आदि आवंटन हेतु अहं नहीं होंगे।
- ८ आवेदक कम्पनी को इस आशय का रेजोल्यूशन देना होगा कि कम्पनी स्वयं के नाम में अथवा अपने एकल स्वामी/साझीदार/प्रबंध निर्देशक/पूर्णकालिक निर्देशक के नाम में आवेदन कर रही है तथा कम्पनी के आवेदन पत्र भरने एवं हस्ताक्षर करने हेतु (नाम, पदनाम) अधिकृत किया है।

बी-६ अहं ग्रामवासी जिनकी भूमि ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अर्जित/क्रय की गयी हो।

इस श्रेणी के आवेदकों हेतु विस्तृत शर्तें निम्न प्रकार हैं—

- ऐसे ग्रामवासी जिनकी भूमि ग्रेटर नौएडा के विकास के लिए ०१.०४.२००२ को या उसके पश्चात अर्जित/क्रय की गई हो तथा उस पर प्राधिकरण द्वारा निर्विवाद व अतिक्रमण मुक्त कब्जा प्राप्त कर लिया गया हो। इस आशय का शपथ-पत्र १० रुपये के स्टाम्प पैपर पर प्रतिभू-पत्र-। के अनुरूप जमा करना होगा जो कि आवेदन फार्म के साथ संलग्न है।
- यदि भूस्वामी अथवा उसके पति/पत्नी/आश्रित वर्चों को प्राधिकरण की किसी योजना में पूर्व में ही भवन/फ्लैट/भूखण्ड आवंटित हुआ है तो वह इस आरक्षण योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।
- यदि किसी खाते में एक से अधिक सह-खातेदार हैं, ऐसी दशा में समस्त सह-खातेदार योजना में आवेदन करने हेतु अहं होंगे। इन समस्त सह खातेदारों के मध्य ड्रा करके एक सफल सह-खातेदार का चयन किया जायेगा एवं उसी सफल सहखातेदार को योजना के ड्रा आफ लॉट्स में सम्मिलित किया जायेगा।
- केवल वही कृषक आवेदन हेतु अहं होंगे जिन्हें प्रतिकर भुगतान के समय पुर्नवास बोनस के रूप में १५ प्रतिशत का अतिरिक्त भुगतान किया गया हो।
- इस आरक्षण के अंतर्गत आवंटित चार मंजिले फ्लैट का हस्तान्तरण आवंटन की तिथि से पांच वर्ष तक अनुमन्य नहीं होगा।
- अधिग्रहित अथवा क्रय की गयी भूमि जिसके सापेक्ष आवेदन किया गया है पर, अथवा उसके अलावा भी प्राधिकरण की अन्य किसी भी अधिग्रहीत/क्रय की गयी भूमि पर भी कोई अनाधिकृत/अवैध कब्जा न किया गया हो। इस आशय का शपथ-पत्र १० रुपये के स्टाम्प पैपर पर प्रतिभू-पत्र-॥ के अनुरूप जमा करना होगा जो कि आवेदन फार्म के साथ संलग्न है।
- आवेदक द्वारा सम्पूर्ण प्रतिकर बिना किसी आपत्ति के करार/सहमति के आधार पर प्राप्त कर लिया गया हो। आवेदक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत फार्म-११ सी की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की जानी होगी।
- सत्यापन के दौरान यह पाया जाता है कि अधिग्रहित भूमि पर अतिक्रमण है अथवा सम्पूर्ण प्रतिकर प्राप्त नहीं किया गया है/कब्जा नहीं दिया गया है तो ऐसी शिथि में आवेदन निरस्त कर पंजीयन धनराशि वापस कर दी जायेगी।

बी-७ अहं ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नियमित कर्मचारी

- इस योजना में प्राधिकरण के अहं कर्मचारी से अभिप्राय योजना की अन्तिम तिथि तक ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नियमित कार्यरत कर्मचारियों से है। इस संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा जारी अर्हता प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण में प्रतिनियुक्त पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी आवंटन हेतु पात्र नहीं होंगे।
- यदि आवेदक को चार मंजिले फ्लैट आवंटित होता है वह प्राधिकरण के स्टाफ फ्लैट का अध्यासी है तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी आवास को चार मंजिले फ्लैट के कब्जा प्राप्त होने के उपरान्त खाली करना होगा। विलम्ब होने की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निर्धारित बाजार दर पर किराया/दण्ड देय होगा।
- इस श्रेणी में आवंटित चार मंजिले फ्लैट को आवंटन की तिथि से १० वर्षों तक अन्तरित करने की अनुमति नहीं होगी।
- प्राधिकरण के कर्मचारी/अधिकारी निम्न ग्रेड पे के अनुसार आवेदन के लिये अहं होंगे।

क्र.सं.

मूल वेतन

अहंता श्रेणी (क्षेत्रफल)

- | | | |
|-------|----------------------------------|-----------------------|
| (i) | ग्रेड पे रु. 1800/- तक | 120 वर्गमीटर तक |
| (ii) | ग्रेड पे रु. 1900 से 4200/- तक | 200 वर्ग मीटर तक |
| (iii) | ग्रेड पे रु. 4600/- से 6600/- तक | 350 वर्गमीटर तक |
| (iv) | ग्रेड पे रु. 7600/- से अधिक | किसी भी आकार का फ्लैट |

यदि आवेदक अनुमन्यता से अधिक आकार के चार मंजिले फ्लैट हेतु आवेदन करना चाहता है तो उन्हें योजना की अन्तिम तिथि से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी।

सी- आवंटन की प्रक्रिया :

प्रत्येक अहं श्रेणी के चार मंजिले फ्लैट का आवंटन ड्रा के माध्यम से किया जायेगा। आवेदन में फ्लैटों को आवेदकों को विशिष्ट फ्लैट जैसे भूतल, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तल हेतु आवेदन के अनुरोध का अधिकार नहीं होगा। ड्रा के माध्यम से ही तलों का आवंटन होगा जो आवेदकों को मान्य होगा।

यदि आरक्षित श्रेणी में घार मंजिल पलेट के डा.मे.आवेदन आरक्षित घार मंजिले पलट की सख्ता में कम गाल बात है तो शाप आरक्षित घार मंजिले पलट सामान्य श्रेणी में अन्तरित कर दिये जायेंगे।

डी—आवेदन कैसे करें

आवेदन प्रपत्र रुपये 550/- के भुगतान के साथ निम्नलिखित किसी भी बैंक शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं। डाक द्वारा आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने हेतु रु. 550/- का ड्राफ्ट वरिष्ठ प्रबन्धक, बैंक आफ बड़ौदा, गामा शापिंग काम्प्लिक्स, सेक्टर—गामा, ग्रेटर नौएडा सिटी पिन कोड—201308 को प्रेषित कर प्राप्त किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण की वैबसाइट www.greaternoidaauthority.in से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस रिति में ब्रोशर के मूल्य को लिये रु. 550/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट पंजीयन धनराशि के साथ पृथक से संलग्न करना अनिवार्य होगा।

विधिवत भरे हुए तथा आवश्यक संलग्नकों सहित हस्ताक्षरित आवेदन पत्र आपेक्षित पंजीयन राशि सहित निम्नलिखित किसी भी बैंक की शाखा में सभी श्रेणी के आवेदकों द्वारा योजना की समाप्ति से पूर्व जमा कराने होंगे।

आवेदक अपनी अर्हता अनुसार आवेदन पत्र के साथ पंजीयन धनराशि ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम से बैंक ड्राफ्ट / पे आर्डर जिसकी देयता नई दिल्ली / नौएडा / ग्रेटर नौएडा पर होगी, आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर निम्नलिखित बैंक की शाखाओं में जमा करेंगे। आवेदन पत्रों की अधिकृत पावती / रसीद सबधित बैंक द्वारा जारी की जायेगी।

डी—1 सामान्य, संस्थागत, औद्योगिक, वाणिज्यिक, प्राधिकरण कर्मी, एवं विकलांगों की श्रेणी के लिए निर्धारित बैंक शाखायें:

क्र.सं.	कोड संख्या	बैंक का नाम
1	01	ऐक्सिस बैंक, सेक्टर—16, नौएडा
2	02	ऐक्सिस बैंक, डी—1, अल्फा कामर्शियल ब्लैट—1, नियर परी चौक, ग्रेटर नौएडा
3	03	बैंक आफ बड़ौदा, सेक्टर—गामा—2, ग्रेटर नौएडा
4	04	बैंक आफ महाराष्ट्रा, सेक्टर—अल्फा—1, ग्रेटर नौएडा
5	05	केनरा बैंक, गामा शापिंग माल, ग्रेटर नौएडा
6	06	एच.डी.एफ.सी. बैंक, सेक्टर—अल्फा व्यापारिक क्षेत्र, ग्रेटर नौएडा
7	07	एच.डी.एफ.सी. बैंक, जी—28—29, सैक्टर 18, नौएडा
8	08	एच.डी.एफ.सी. बैंक, शॉप नं.11, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली—110001
9	09	इण्डियन बैंक, एस—7, गामा शापिंग माल, ग्रेटर नौएडा
10	10	इण्डियन बैंक, 03, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद
11	11	इण्डियन बैंक, ए.बी.—20, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली
12	12	इण्डियन बैंक, बी—253, सेक्टर—50, नौएडा
13	13	इण्डियन बैंक, एन—9, सैक्टर 18, नौएडा
14	14	सिङ्गीकेट बैंक, एस—9 गामा शापिंग माल, जगत फार्म, ग्रेटर नौएडा
15	15	पंजाब एण्ड सिंध बैंक, अल्फा कामर्शियल ब्लैट, ग्रेटर नौएडा
16	16	युनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया, ए—4, सनराईज टावर, अल्फा कामर्शियल ब्लैट, ग्रेटर नौएडा
17	17	ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, सेक्टर—20 नौएडा
18	18	यूनियन बैंक आफ इण्डिया, सी—56 / ए28, सेक्टर—62, नौएडा
19	19	विजया बैंक, सेक्टर—19, नौएडा
20	20	आई.सी.आई.सी.आई बैंक, अल्फा कॉमर्शियल ब्लैट, ग्रेटर नौएडा
21	21	आई.सी.आई.सी.आई बैंक, के—1, सीनीयर माल, सेक्टर—18, नौएडा
22	22	आई.सी.आई.सी.आई बैंक, 9—ए, फैल्पस विल्डिंग, कनाट प्लैस, नई दिल्ली
23	23	आई.सी.आई.सी.आई बैंक, शालीमार टावर, 31 / 54, एम० जी० मार्फ, हजरतगंज, लखनऊ
24	24	आई.सी.आई.सी.आई बैंक, आर.डी.सी., गाजियाबाद
25	25	इलाहाबाद बैंक, सेक्टर—10, नौएडा
26	26	आई.एन.जी.वैश्या बैंक, अंसल फॉर्मून आर्केड, सेक्टर 18, नौएडा
27	27	कोटेक महिन्द्रा बैंक, हर्ष माल, शॉप नं० 3, अल्फा—1, ग्रेटर नौएडा
28	28	पंजाब नेशनल बैंक, राना प्रताप मार्फ, दिल्ली—110007

डी—2 किसानों के लिए आरक्षित श्रेणी के लिये निर्धारित बैंक शाखा—

क्र.सं.	कोड संख्या	बैंक का नाम
29	29	विजया बैंक, जगत फार्म, गामा—1, ग्रेटर नौएडा

प्रतिशत धनराशि के अन्य विधियाँ

व्याज सहित सन्दर्भों की विधियाँ

इ-1 व्याज सहित सन्दर्भों की विधियाँ

इस योजना में बार मंजिले प्लैट की कुल राशि की 30 प्रतिशत धनराशि (पंजीयन राशि समाप्ति के उपरान्त) आवंटन तिथि से 45 दिन के अन्दर लोन राशि के रूप में देय होगा। शेष 70 प्रतिशत धनराशि 14 छु माही (1, प्रतिशत व्याज सहित डिस्काउंट प्रत्येक छु माही) किश्त में देय होगा। किश्तों की गणना आवंटन तिथि के 48वें दिन से की जायेगी।

नोट :-

1. इस प्रपत्र के सन्दर्भ में आवंटन पत्र जारी होने की तिथि को आवंटन तिथि माना जायेगा।
2. इस प्रपत्र के सन्दर्भ में लोज डीड निष्पादन की तिथि को ही कब्जा प्राप्त करने की तिथि माना जायेगा।

एफ- भुगतान विधि :

एफ-1 सभी भुगतान ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट/प्रेषणादेश, जो नई दिल्ली/नौएडा/ग्रेटर नौएडा पर देय हों के रूप में किये जा सकते हैं। इस कार्य के लिए आवंटन पत्र में वर्तीत अधिकृत बैंक शाखाओं द्वारा भुगतान सीधे ही स्वीकार किये जायेगे।

एफ-2 सामान्यतः भुगतान हेतु समय विस्तरण अनुमन्य नहीं होगा। यदि प्राधिकरण को देय राशि का भुगतान, निर्धारित समयावधि में नहीं किया गया है, इस प्रकार विलम्ब अवधि के लिए समय विस्तरण विशेष परिस्थितियों के तहत अधिकतम 3 महीनों के लिए इस शर्त के साथ अनुमन्य होगा कि कुल भुगतान योजना के दौरान ऐसे विस्तरण 3 से अधिक नहीं होंगे। विस्तरण की दशा में 15 प्रतिशत वार्षिक व्याज (जिसका 10 अंकलन तिमाही चक्रवृद्धि व्याज के आधार पर किया जाएगा) की दर से बकाया धनराशि पर देय होगा।

एफ-3 आवंटी / पटटाधारक द्वारा जमा की गयी धनराशि सर्वप्रथम देय व्याज में समायोजित की जायेगी तदोपरान्त शेष धनराशि देय किश्त में व देय लीजरेण्ट में समायोजित की जायेगी।

जी— क्षेत्रफल

आवंटित चार मंजिले प्लैट का क्षेत्रफल कब्जा दिये जाते समय कुछ भिन्न हो सकता है। ऐसी दशा में चार मंजिले प्लैट का कुल मूल्य उसी अनुपात में परिवर्तित होगा। यदि अन्तर 10 प्रतिशत तक है तब भवन की रिथित में परिवर्तन या समर्पण की अनुमति नहीं होगी। यदि अन्तर 10 प्रतिशत से अधिक है तो आवंटी को आवंटन समर्पित करने की छूट होगी तथा ऐसी दशा में जमा की गयी समर्पण धनराशि 4 प्रतिशत व्याज के साथ वापस कर दी जायेगी।

एच— जैसे हैं जहां है के आधार पर :

क्रेता द्वारा चार मंजिले प्लैट “जैसे हैं जहां है के आधार पर 90 वर्ष के पट्टे पर जिनकी अवधि पट्टा प्रलेख की निर्धारित तिथि से प्रारंभ कर स्वीकार किये जायेंगे।

आई—असफल आवेदक :

उन आवेदकों की पंजीयन राशि, जिन्हें भवन आवंटित नहीं हो सके हैं और यदि राशि एक वर्ष से कम अवधि के लिए प्राधिकरण के पास जमा रही है वह राशि बिना व्याज के लौटायी जायेगी यदि जमा राशि की अवधि एक वर्ष से अधिक है तो उस पर 4 प्रतिशत साधारण व्याज की दर से जमा की सम्पूर्ण अवधि के लिए व्याज दिया जायेगा।

जे— समर्पण :

जे-1 आवंटन से पूर्व समर्पण की स्थिति में जमा सम्पूर्ण पंजीयन राशि बिना व्याज लौटा दी जायेगी।

जे-2 आवंटन / चार मंजिले प्लैट के ड्रॉ के उपरान्त परन्तु आवंटन के 30 दिन के भीतर आवंटन समर्पण करने पर पंजीयन राशि का 10 प्रतिशत भाग जब्त कर लिया जाएगा और शेष राशि बिना व्याज लौटा दी जायेगी।

जे-3 आवंटन के 30 दिन के बाद परन्तु 45 दिन के पहले आवंटन समर्पण किया जाता है तो पंजीयन राशि की 50 प्रतिशत राशि की कटौती की जायेगी, शेष राशि बिना व्याज के लौटा दी जायेगी। इसके लिए प्राधिकरण द्वारा पृथक से सूचित नहीं किया जायेगा।

जे-4 आवंटन के 45 दिन के बाद परन्तु आवंटन के 6 महीने से पहले समर्पण किया जाता है तो प्लैट की कुल कीमत का 10 प्रतिशत काट लिया जायेगा। कटौती के पश्चात शेष राशि बिना व्याज के वापिस कर दी जायेगी। इसके लिए कोई पृथक से सूचना नहीं दी जायेगी।

जे-5 आवंटन के छु माह के उपरान्त समर्पण करने पर समस्त जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।

जे-6 यदि आवंटी निर्धारित समय में देय राशि जमा करने में असफल रहता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा और इस प्रकार से निरस्त किये गये चार मंजिले प्लैट के लिए निरस्तीकरण की दिनांक तक जमा राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

टिप्पणी : उपरोक्त मामलों में समर्पण की तिथि वह मानी जायेगी जिस दिन प्राधिकरण के कार्यालय में आवेदन प्राप्त होगा। आवंटी को समर्पण आवेदन पत्र के साथ आवंटन पत्र की मूल प्रति, पंजीकरण पावली संलग्न करना आवश्यक है। डाक प्रमाण पत्र के आधार पर कोई पूर्ववर्ती दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

के— निरस्तीकरण :

निरस्तीकरण के अन्य उल्लिखित प्रस्तरों के अतिरिक्त, प्राधिकरण / पटटादाता, अधोलिखित स्थितियों में पट्टा प्रलेख / आवंटन को निरस्त करने हेतु अपने अधिकारों का उपयोग करने में स्वतंत्र होंगा:-

के-1. गलत विवरण अथवा वस्तुपरक तथ्यों को छिपाते हुए आवंटन प्राप्त करने पर।

के-2. प्राधिकरण अथवा अन्य विधिक निकाय द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्त अथवा उसके द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन करने पर।

के ३ अवंटन, आवंटी/पट्टाधारक द्वारा पंजीकरण के लिए पट्टा की नियम वे शर्तें हैं लाइन/ललंघन ५०% अथवा आवंटन राशि जमा न करने पर।

उपरोक्त के उप प्रश्न (१ २ व ३) के अंतर्गत, निरस्तीकरण की दशा में निरस्तीकरण की तिथि तक जमा समस्त राशि जब्त कर ली जायेगी और खुण्ड मय हावे के यदि कोई हैं तो, प्राधिकरण/पट्टाधारता द्वारा कब्जे में ले ली जायेगी, और आवंटी/पट्टाधारक को इसकी प्रतिपूर्ति मांगने का कोई अधिकार नहीं होगा।

एल—पट्टा अवधि एवं पट्टा किराया :

फ्लैट का आवंटन प्रत्येक आवंटी को 90 वर्ष के पट्टाधिकारी पर दिया जाएगा और पट्टा किराया कब्जा लेने से पूर्व खुण्ड के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत एकमुश्त देय होगा। यदि आवेदक वार्षिक भू-भाटक देना चाहता है तो उसे कुल खुण्ड के मूल्य का एक प्रतिशत वार्षिक अग्रिम के रूप में पट्टा प्रलेख निष्पादन की तिथि से देय होगा। वार्षिक भू भाटक 10 वर्ष बाद 50 प्रतिशत बढ़ा दिया जायेगा।

एम—एग्रीमेंट टू लीज का निष्पादन :

अधिसूचना सं 3066 / 11.5.2009—500(100) / 2008 दिनांक 12—6—2009 में वर्णित प्राविधान के अंतर्गत आवंटी को आवंटन के छः माह के भीतर एग्रीमेंट टू लीज निष्पादित करा कर सब रजिस्ट्रार गौतम बुद्ध नगर कार्यालय में निवधित करना होगा अन्यथा लीजडीड के निष्पादन के समय उन्हें सक्रिय दर पर स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। अधिसूचना की प्रति प्राधिकरण की वेबसाइट पर अवलोकनीय है।

एन—पट्टा दस्तावेज तथा कब्जे का निष्पादन :

आवंटित चार मजिले फ्लैट का कब्जा आवंटन—पत्र निर्गत करने के चार वर्षों के भीतर आवंटी को आफर कर दिया जाना सम्भावित है। आवंटी को कब्जा लेने की सूचना प्रेषित करने के 60 दिन के भीतर कानूनी दस्तावेज/पट्टा प्रलेख निष्पादित करना अनिवार्य होगा। ऐसा करने में असफल रहने पर आवंटी को 1 प्रतिशत की दर पर प्रशासनिक शुल्क का भुगतान भी करना होगा, जिसमें कानूनी दस्तावेज के निष्पादन के लिए अकित तिथि से अधिकतम एक वर्ष की समय बढ़ोत्तरी दी जा सकेगी। इस विस्तारित समय के बाद भी यदि आवंटी कानूनी दस्तावेज के निष्पादन में असमर्थ रहता है तो आवंटन निरस्त किये जाने तथा जमा राशि जब्त किये जाने संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

ओ—दस्तावेजी प्रभार :

कानूनी दस्तावेज तैयार करने, उस पर टिकट लगाने तथा उसे पंजीकृत करने संबंधी समस्त शुल्क और उसकी प्रतियां बनवाने तथा उससे संबंधित समस्त आकर्षिक खर्चों का वहन आवंटी को ही करना होगा। आवंटी को अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी, जो इसके लिए अधिकृत किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगाई जायेगी अथवा कोई अन्य शुल्क अथवा प्रभार का भुगतान भी करना होगा।

पी—गिरवी रखना :

पी-1. आवंटी/पट्टाधारक, प्राधिकरण/पट्टाधारता की पूर्व सहमति लेकर भवन की लीज डीड निष्पादन/पंजीकरण के पश्चात किसी भी बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण आहरण हेतु भवन गिरवी रख सकता है और पट्टाधारता द्वारा ऐसी अभिस्वीकृति देते समय लगायी गयी नियम व शर्तें आवंटी को मान्य होंगी व उनका अनुपालन करना होगा। इसके साथ ही गिरवी रखी सम्पत्ति के विक्रय अथवा मोद्यन निषेध होने पर, पट्टाधारता को अधिकार होगा कि भवन की अनर्जित बढ़ी कीमत का वो प्रतिशत जो पट्टाधारता द्वारा निर्धारित की जायेगी, को प्रथम धारक के रूप में वसूल लें व अन्य गिरवी अधिकारों से प्राथमिक अधिकारहोगा। भवन के बाजार मूल्य निर्धारण में पट्टाधारता का निर्णय अनिम होगा व सभी संबंधित पक्ष को बाध्य होगा, इसके साथ ही पट्टाधारता को गिरवी रखी सम्पत्ति से पूर्व वर्णित अनर्जित बढ़ोत्तरी को उस प्रतिशत को कम कर पूर्वक्रय का अधिकार होगा। पट्टाधारता यहां वर्णित अनर्जित बढ़ोत्तरी व सम्पत्ति के पूर्वक्रय का अधिकार अनविच्छित विक्रय एवं हस्तान्तरण के समय भी बराबर से मान्य होंगे चाहे वह न्यायालय/दिवालियेपन की आज्ञिति के अनुपालन के साथ अथवा द्वारा हों।

पी-2. आवंटी द्वारा चार मंजिलीय फ्लैट में कोई तकनीकी परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

पी-3. परिवर्तन की दशा में खासी होने पर प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। पूर्ण नुकसान की वसूली आवंटी से की जायेगी।

क्यू—चार मंजिले फ्लैट का हस्तान्तरण :

क्यू-1 कानूनी उत्तराधिकारी :

अपने (महिला/पुरुष) कानूनी उत्तराधिकारी को चार मंजिले फ्लैट के हस्तान्तरण की अनुमति मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी। चार मंजिले फ्लैट के इस प्रकार के हस्तान्तरण के लिए आवंटी को निर्धारित हस्तान्तरण शुल्क देना होगा तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निर्धारित सभी कानूनी शर्तों को पूरा करना होगा। इस संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऐसी अभ्यर्थना स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूरा अधिकार होगा।

आर—दुरुपयोग, अतिरिक्त निर्माण, परिवर्तन इत्यादि :

चार मंजिले भवन का प्रयोग आवासीय उपयोग के अतिरिक्त किसी अन्य उददेश्य के लिए नहीं किया जायेगा। आवंटी को परिसर उपविभाजित करने अथवा किसी अन्य परिसर के साथ मिलाने अथवा उस पर कोई अतिरिक्त ढाँचा खड़ा करने अथवा उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं होगा। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा और परिसर का कब्जा प्राधिकरण द्वारा वापस ले लिया जाएगा।

प्रा- सर्वोच्च भूमिका के द्वारा

आवंटी/पटटाधिकारी को भूमि के आवंटन के सबध में इस आशय के लिए प्राधिकृत किया जा दिया है। इस जल्दी गए इन्हें विवरण का कार मिथाना करना लगाय गया है।

टी- भूगर्भ सम्पत्तियों के नियमन हेतु

प्राधिकरण का आवंटित आवासीय घर मंजिले फ्लैट के अन्तर्गत और उसके बाहर सभी खाना, कोयला, खनिजों प्रक्षोलन, रचर्ण, मिटटी का तेल, खदानों पर का भी प्राधिकरण को अधिकार होगा जो इस कार्य हेतु किसी चीज का तलाश करने, उसे प्राप्त करने और वहां से हटाने के लिए वे आवश्यक समझें। आवासीय घर मंजिले फ्लैट के तेल पर किसी वर्टिकल सपोर्ट अथवा उस पर कुछ समय के लिए निर्मित किसी भी मंजिले फ्लैट के सबध में उक्त कार्यवाही करने का उन्हें पूर्ण अधिकार होगा। किन्तु इसके लिए प्राधिकरण इस आशय के अधिकारों का प्रयोग करते समय उससे उत्पन्न सभी प्रकार की क्षतियों का भुगतान प्रत्यक्ष रूप से आवंटी/पटटाधिकारी को करेगा। समुचित क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित करने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी का निर्णय अन्तिम माना जायेगा और यह निर्णय आवंटी/पटटाधिकारी को भी मान्य होगा।

यू- अनुरक्षण :

- यू-1. आवंटी पानी, सीवर व विद्युत कनैक्शन अपने व्यय पर प्राधिकरण/संबंधित विभाग से प्राप्त करेगा।
- यू-2. आवंटी आवंटित घर मंजिले फ्लैट तथा उसके परिवेश एवं सभी सुविधाओं को साफ-सुधरा तथा अच्छी रिथति में रखेगा। यदि आवंटित घर मंजिले फ्लैट ऐसे परिसर में हैं जहां अन्य घर मंजिले फ्लैट भी निर्मित हैं तो आवंटी अन्य आवंटियों के साथ अनुरक्षण अभिकरण की संरचना करेगा जो पूर्ण परिसर को साफ-सुधरा एवं अच्छी रिथति में अनुरक्षण सुनिश्चित करेगा।
- यू-3. आवंटी को घर मंजिले फ्लैट तथा सन्निकट क्षेत्र के अनुरक्षण के सबध में जारी प्राधिकरण के निर्देशों एवं साथ-साथ इस संबंध में नगरीय सेवाओं के प्राविधानों का अनुपालन करना होगा।
- यू-4. प्राधिकरण की नियम व शर्तों का अनुपालन न होने पर, प्राधिकरण को अधिकार होगा कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नियमानुसार जो दण्ड निर्धारित किया जायेगा वह दण्ड मान्य होगा।
- यू-5. यदि प्राधिकरण के अनुसार किसी क्षेत्र का उचित अनुरक्षण नहीं है उस दशा में प्राधिकरण उचित अनुरक्षण करवाकर जो भी व्यय होगा, आवंटी से संयुक्त रूप में तथा/अथवा पृथक-पृथक रूप में वसूल करेगा। अनुरक्षण तथा/अथवा ठीक करने पर व्यय के संबंध में प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।
- यू-6. पटटाधारक ऐसे पोस्टरों, सविधि व अन्य वस्तु का प्रदर्शन नहीं करेगा जो नैतिकता के प्रतिकूल अथवा अनैतिक एवं अशिष्ट हो।
- यू-7. पटटादाता द्वारा ऐसी विशिष्ट अनुमोदित स्थलों छोड़कर बाहरी सतह पर कोई विज्ञापन अथवा प्लेकार्ड का प्रदर्शन नहीं करेगा।
- यू-8. समुचित अनुरक्षण एवं सुरक्षा हेतु ब्लाक/सेक्टर समूह के आवंटियों को आर.डब्लू.ए./एन.एम.सी. गठित करनी होगी।

वी- अन्य अनुच्छेद :

- वी-1 मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि उसके द्वारा न्यायसंगत तथा उचित समझे जाने पर समय-समय पर आवंटन की शर्तों में कोई परिवर्तन या संशोधन का निर्णय ले सके।
- वी-2 इन नियम व शर्तों के संबंध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण अथवा उसकी व्याख्या करने के संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा और आवेदकों के लिए बाध्य होगा।
- वी-3 किसी दैवीय आपदा अथवा प्राधिकरण के नियंत्रण के बाहर किसी भी परिस्थिति के फलस्वरूप प्राधिकरण आवंटन देने अथवा आवंटित घर मंजिले फ्लैट पर कब्जा प्रदान करने में असमर्थ होता है तो सम्पूर्ण पंजीयन राशि अथवा अन्य जमा राशि जो आवंटन की रिथति पर निर्भर करेगी, 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण व्याज सहित लौटा दी जायेगी।
- वी-4 सभी विवादों का आवंटन/पटटे के संबंध में किसी भी विवाद के लिए न्याय का क्षेत्राधिकार सम्बद्ध जिला न्यायालय, जहां सम्पत्ति रिथत है, अथवा उच्च न्यायालय द्वारा नामित न्यायालय का होगा।
- वी-5 आवंटी पर उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम सन् 1976 (यू.पी. एक्ट नं. 6, 1976) के प्राविधान तथा उसके तहत गठित नियम/विनियम लागू माने जायेंगे।
- वी-6 घर मंजिले फ्लैट का स्वामित्व पति/पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से भी अनुमन्य है।
- वी-7 प्राधिकरण को अदेय सभी धनराशि, एरिया औफ लैण्ड रेवेन्यू की तरह वसूल की जायेगी।

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें :-

प्रबंधक

(सम्पत्ति- बी.एच.एस. 16/2013 आवासीय योजना)

दूरभाष: 0120-2326150-152, फैक्स नं. 0120-2326334

'प्रतिमूपत्र' पेज 9 पर उपलब्ध है।

Undertaking - 1

प्रतिभूपत्र - ।

मैं पुत्र श्री ग्राम का निवासी हूं तथा ग्राम
 के खाता संख्या खसरा संख्या में मेरा भाग क्षेत्रफल
 था जिसका अर्जन सुनियोजित विकास हेतु ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा किया गया है।

यह कि उपरोक्त भूमि खाता संख्या खसरा संख्या क्षेत्रफल
 स्थित ग्राम की भू अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (1) / 17 की अधिसूचना
 दिनांक को धारा 6 / 17 की अधिसूचना दिनांक को जारी होकर कब्जा
 दिनांक को ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण को हस्तांतरित हुआ है।

यह कि मेरे द्वारा अधिग्रहित भूमि का समस्त प्रतिकर बिना किसी आपत्ति के करार/सहमति के आधार पर प्राप्त कर लिया गया है। यह कि मेरे द्वारा प्राधिकरण के साथ अथवा सह खातेदारों के साथ कोई विवाद न्यायालय में लंबित नहीं है।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण प्राधिकरण रिकार्ड/जानकारी में सच व सही है।

Undertaking - 2

प्रतिभूपत्र - ॥

मैं पुत्र श्री निवासी ग्राम के खाता संख्या
 खसरा संख्या क्षेत्रफल स्थित ग्राम का स्वामी हूं।

यह कि उपरोक्त भूमि खाता संख्या खसरा संख्या क्षेत्रफल स्थित
 ग्राम का अधिग्रहण (धारा 4 / 17, 6 / 17) दिनांक को प्राधिकरण के लिए किया जा चुका है।


यह कि मेरे द्वारा प्राधिकरण की अधिग्रहित भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है।

मेरे द्वारा प्राधिकरण का कोई विकास कार्य बाधित नहीं किया जा रहा है और न ही किसी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर


सत्यापन : अभियंत्रण विभाग

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण प्राधिकरण रिकार्ड/जानकारी में सच व सही है।




GROUND FLOOR PLAN

UNIT AREA = 27.65 SQ.M.
SUPER AREA = 29.76 SQ.M.
CLUSTER AREA = 119.04 SQ.M.



UNIT AREA = 27.65 SQ.M.
SUPER AREA = 29.76 SQ.M.
CLUSTER AREA = 119.04 SQ.M.

TYPICAL FLOOR PLAN



UNIT AREA = 27.65 SQ.M.
 SUPER AREA = 29.76 SQ.M.
 CLUSTER AREA = 119.04 SQ.M

UNIT PLAN

SPECIFICATIONS FOR FOUR STOREYED HOUSES

The Following Specification has been proposed.

1. Base Concrete.
2. Brick work in foundation & plinth
3. Floor to floor height :- 3.00M
4. Brick work in superstructure
5. Half brick thick wall
6. R.C.C. (Lintel, Beam & Slab):-
7. Plaster :- 1.6 (1 Cement:6 coarse sand)
8. Flooring :- Tiles
9. Roof Treatment :- Brick Coba
10. Door/ Windows frame :- M.S angle iron with M.S. Grills
11. M.S. Railing in stair case :-
12. Door Shutter :- 30 mm thick flush door shutters (Only outer 2 doors)
13. Interior finishing :- White washing 3 coat, synthetic enamel paint on doors & windows
14. Exterior Finishing :- Grit washed
15. Water supply:- CPVC pipe.
16. Sanitary pipe :- PVC pipe
17. W.C. Seat :- Orissa pattern W.C. pan
18. Rain water Pipe :- PVC Pipe
19. Electrification :- In PVC conduit pipe.